

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम  
 मुंज 55/17 तारीख 27.6.17 5-6.17

उजवान - राप्रकेशन बनाम चवरा कोठे  
 टोडाभीम

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओरसे श्री राज कुमार सिंह एडवोकेट से  
 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमावदी  
 शफ्यपत्र का अवलोकन किया गया। वायादर  
 डिस्ट्र कर प्रतिवादीजण को जारेये सगगा से  
 शास कर दिनांक 9.6.17 को पेश हो।

2098-2101  
 5-6.17

  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करीली)

12)

वादी वकील उप। प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओरसे श्री सुरेश चंद  
 राधा मिश्र ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3, 4  
 के सम्मनों की तारीख विधिवत नहीं हुई है। इनके  
 सम्मन तत्ववाना पुनः पेश हो। काले तारकी व जवाब  
 दि. 27.6.17 को पेश हो।


जगदीश भीम

रामचरण

8.1)

वकालत उप। गतानुसार दिनांक 19.7.17 को पेश हो।

19.7.17 वकालत उप। गतानुसार काले तारकी व जवाब  
 दिनांक 21.8.17 को पेश हो।

  
 जगदीश आर्य  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3-9-19

वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कौली  
पत्रावली है। अतः पत्रावली गतायुक्त  
दिनांक 21-10-19 को पेश हो।

21-10-19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं थे कई  
बार आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील  
एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं थे अतः यह  
दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है पत्रावली के साथ शुमार होकर नम्बर  
से कम होकर दायित्व दफ्तर ले।

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (कौली)